

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

203
195

क्रमांक एफ 8-3/2013/आ.प्र./एक,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/01/2014

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषय:—निःशक्तजनों के लिए गठित जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराने संबंधी ।

संदर्भ:—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ 8-3/2009/आ.प्र./एक, दिनांक 31.07.2009

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 31.07.2009 द्वारा शासकीय सेवा में निःशक्तजनों के आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों की विकलांगता की जांच नवगठित "जिला बोर्ड" से करवाने हेतु लिखा गया था ।

2/ राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है, कि व्यापम एवं लोक सेवा आयोग तथा अन्य माध्यम से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण करा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वे वास्तव में विकलांग हैं । जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जाये ।

3/ अतः पुनः निर्देशित किया जाता है, कि संदर्भित परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

Handwritten signature

(आर०के० गजभिये)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग



पृ० क्रमांक एफ 8-3/2013/आ.प्र./एक,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक १० / ०१ / २०१४

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
6. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
9. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
10. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ
इंदौर/ग्वालियर/ जबलपुर।
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

